तार का पताः ''मिनीस्टील''
Telegraphic Address : "MINISTEEL"

सं० ____________

No. ____________

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
इस्पात मंत्रालय
MINISTRY OF STEEL
उद्योग भवन
UDYOG BHAWAN

31012/1/2011-सा.प्र. नई दिल्ली-110107
New Delhi-110107

सेवा में,

दिनाकं 14/1/2011 21

संलग्न सूची के अनुसार

विषय:-इस्पात मंत्रालय में वर्ष 2011-12 में धुलाई एवं ड्राई क्लीनिग का कार्य करवाने के लिये मुहरबंद निविदाये आमंत्रित करने के सम्बंन्ध में ।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि आपकी फर्म उपरोक्त कार्य को करने की इच्छुक है तो संलग्न सूची में दर्ज मदों के लिए उचित दरे दिए गए प्रारूप पत्र में संलग्न करें । निविदाए दिनाकं 8.2.2011 को प्रातः 11.00 बजे तक कक्ष सं. 74, उद्योग भवन में भेजी जा सकती है । प्राप्त निविदाओं कों उसी दिन : 11.30 AM आवेदक फर्मो के इच्छुक उपस्थितं प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाऐगा । निविदा के साथ 5000 रूपये का बैक ड्राफट (वेतन एंव लेखा अधिकारी के नाम देय) भी अवश्य सलंग्न करे अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जायेगा ।

2 इस्पात मंत्रालय में सक्षम प्रधिकरी के पास बिना कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है ।

भवदीय,

(अतुल कुमार सिंह)
अनुभाग अधिकारी

Name of the Firm---

PAN NO------------------------------TIN NO--------------

(Please enclose copies)

क्रं.सं	मद का नाम	व्यवसाय की संभावित मात्रा	दर प्रति सीट	दर
1.	सोफा सेट	200	प्रति सीट [illegible]	
2.	कुर्सी	180	प्रति सीट [illegible]	
3.	ब्लाइंड	250	प्रति ब्लाइंड	
4.	पर्दें	100	प्रति पर्दें	
5.	कारपेट ड्राइक्लीन	25	कारपेट ड्राइक्लीन प्रति sq. Feet	
6.	तौलिया	9648	प्रति तौलिया	
7.	डस्टर	1206	प्रति डस्टर	
8.	सोफा सेट कवर	100	प्रति सीट [illegible]	
9.	कुर्सी सीट कवर	150	प्रति कुर्सी कवर	
10.	कार सीट कवर	100	प्रति सीट कवर	

शर्ते:-

1. आपकी फर्म से हर हप्ते में सोमवार और गुरूवार को इस्पात मंत्रालय के अधिकारियों के तौलिये सुबह 9.30 बजे तक बदलने होगे।
2. किसी विशेष अवसर पर धुलाई का कार्य शीघ्र किया जाएगा।
3. बिल का भुगतान प्रति मास चैक द्वारा किया जायेगा।
4. अगर किसी अधिकारी द्वारा धुलाई के संबंध में कोई भी शिकायत मिली तो उस दिन के आपके पैसे काट दिये जायेंगे।
5. यह अनुबन्ध किसी भी समय बिना कारण बताए अनुबन्ध की अवधि से पहले भी समाप्त किया जा सकता है।
6. यदि फर्म द्वारा कोई कार्य संतोषजनक नही पाया गया तो उसे किसी अन्य फर्म से करवाया जाएगा तथा इसका भुगतान अनुबन्धित फर्म के भुगतान से काट लिया जाएगा ।
7. फर्म को जमानत के रूप में 5000 रूपये का डिमाड ड्राफट वेतन एवं लेखा कार्यालय, इस्पात मंत्रालय, नई दिल्ली के नाम जमा कराना होगा ! किसी भी रूप में शर्तो का उल्लघन करने पर फर्म की जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी ।
8. अनुबंध की अवधि ~~अनुंबध की अवधि~~ 01.4.2011या अनुंबघ पत्र देने की तारीख दोनो में से जो भी बाद में हो, से 31.03.2012 तक के लिये होगी ।
9. कार्य सम्पादन के बाद बिल (तीन प्रतियो में) कार्य संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र सम्बधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करना होगा इसके बाद ही मंत्रालय बिल का भुगतान करेगा ।

(Atul Kumar Singh)
Section Officer